

T.S. 46/2017

02-11-2021

उभयपक्ष अनुपस्थित है। बार—बार पुकार करने पर भी उभयपक्ष की आरे से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुआ है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख प्रतिवादी के आवेदन पर सुनवाई हेतु लंबित है। वादी विगित कई तिथियों से अनुपस्थित चल रहे हैं। वादी की अनुपस्थिति में इस वाद में अग्रिम कारवाई किये जाने का कोई आधार प्रतित नहीं होता है। वादी को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं रह गई है। अतः न्यायहित में वादी का वाद अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

सब जज ॥

--	--